न्यायालय माननीय बोर्ड आफ रेवेन्यू ग्वालियर

A 101-III/09

श्रीमति माया पाल पत्नि डा0 श्री महेन्द्र कुमार पाल
निवासी- जीवन रैन बसेरा के सामने गोपालगंज-सागर
कृष्णगंज वार्ड- सागर

--- अपीलार्थी

// बनाम //

म0 प्र0 शासन
द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प- सागर

---- प्रतिअपीलार्थी

अपील क्र0- दिनांक-

अपील अन्तर्गत धारा- 47{क} चार भारतीय मुद्रांक अधिनियम

अपीलार्थी निम्नलिखित प्रार्थना करती हैं :-

1- यह कि अपीलार्थीनी उक्त अपील आदेश श्रीमान् कमिश्नर सागर संभाग सागर के अपील प्रकरण क्रमांक- 184/बी/105 वर्ष-2007-2008 आदेश दिनांक- 13.10.2008 से पीड़ित होकर कर रही है।

उक्त अपील निर्धारित प्रोफार्मा में प्रस्तुत हैं :-

1- अपीलार्थिनी का नाम :-	श्रीमति माया पाल पत्नि डा0 महेन्द्र कुमार पाल
2- लिखित के निष्पादन का नाम व पता:-	1. अनिल कुमार नाहर 2. अमित कुमार नाहर दोनों के पिता ताराचंद्र नाहर चकराघाट वार्ड- सागर
3- लिखित के खरीददारी का नाम व पता :-	श्रीमति माया पाल पत्नि डा0 महेन्द्र कुमार पाल जीवन रैन बसेरा के सामने, कृष्ण गंज वार्ड- गोपालगंज-सागर
4- लिखित की तारीख व प्रकार बिक्री भाव -	बैनामा दिनांक- 17.5.2007 पथरीली-उबड़ खाबड़ असिंचित भूमि
5- रजिस्ट्री कार्यालय का नाम :-	उपपंजीयक सागर {म.प्र.}

//2//

A-101-115/09

4

6- सम्पत्ति का विवरण:- जमीन -असिंचित, पथरीली, उबड़ खाबड़ रकबा-0.810 हे0+ 0.810 कुल रकबा-1.620 हे0 लगभग-4.00 एकड़ खसरा नंबर-215/44 एवं 215/58 ग्राम कनेरादेव पटवारी ह0 नं0-44 आमरोड से दूरी- लगभग- 8 किलोमीटर

7- विद्वान कमिश्नर महोदय के आदेश के विरुद्ध अपील- न्यायालय कमिश्नर सागर संभाग-सागर के प्र0 क्र0-184/बी/105/07-08 आदेश दिनांक- 13.10.2008

8- उल्लेखित मूल्य- 1,00,000/- रूपया विक्रय पत्र स्टाम्प जिस पर विलेख किया गया है 8500/- रूपया

9- उपपंजीयक द्वारा प्रस्तावित मूल्य- शुल्क में कमी -83,270/- रूपया

10- मुद्रांक संग्राहक द्वारा-निर्धारित मूल्य- उपपंजीयक द्वारा प्रस्तावित शुल्क में कमी 83270 रूपये में 5% प्रतिशत कमी करते हुए 10,50,000 रूपया बाजार मूल्य-निर्धारित कर कमी मुद्रांक शुल्क-78,650/- रूपया

// अपील के आधार //

1- यह कि अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि -अपीलार्थी ने ग्राम कनेरादेव सागर सर्किल में स्थित खसरा नंबर-215/44 एवं 215/58 का कुल रकबा 1.620 हे0 जमीन विक्रेता अनिल कुमार एवं अजीत कुमार नाहर से रूपया 1,00,000/- (एक लाख रूपये) में क्रय की थी पंजीयन हेतु उक्त विलेख उपपंजीयक सागर के समक्ष दिनांक-18.5.2007 को प्रस्तुत किया था, उपपंजीयक सागर ने भूमि का मूल्य सही न पाते हुए उक्त भूमि का मूल्य गलत ढंग से अंकित कर 1105650/- रूपये (अंकन- ग्यारह लाख पाँच हजार छ: सौ पचास रूपये) प्रस्तावित कर प्रकरण कलेक्टर-

Mayapal

दिनांक 12.01.09 को अपने

..2

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ——————

अपील प्रकरण कमांक 101–तीन/09 **जिला सागर**

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश
19.12.16	यह अपील कमिश्नर सागर संभाग सागर व्दारा प्रकरण कमांक 184 बी 105/07-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 13 अक्टूवर 2008 के विरूद्व राजस्व मण्डल में दिनॉक 05 जनवरी, 2009 को प्रस्तुत हुई है। 2/ अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब वावत् अपीलार्थी के अभिभाषक के कायम पर तर्क सुने गये थे। 3/ तर्को के दौरान आवेदक के अभिभाषक ने बताया कि विचारण न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि नियुक्त अभिभाषक ने समय पर निकाल ली थी किन्तु उनके व्दारा अन्य कागजातों में संलग्न हो जाने से अपीलांट को आदेश की जानकारी नहीं दी जा सकी, इसलिये विलम्ब क्षमा कर दिया जाय। 4/ अपीलांट के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने करने पर स्थिति यह है कि जब अपीलांट के अभिभाषक ने कमिश्नर सागर संभाग सागर व्दारा प्रकरण कमांक 184 बी 105/07-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 13 अक्टूवर 2008 की प्रमाणित प्रतिलिपि समय पर ले ली थी, तब यही माना जावेगा कि अभिभाषक को आदेश की जानकारी तत्समय हो जाना पक्षकार को जानकारी होना मानी जावेगी, जिसके कारण अपीलांट के अभिभाषक का तर्क माने जाने योग्य नहीं

है। माननीय वरिष्ठ न्यायालयों ने माना है कि एक पक्षकार को प्रोद्भूत अधिकारों का हनन् करते हुये विलम्ब को क्षमा करना दूसर पक्ष को हानिकारक होने से न्यायिक प्रक्रिया का हनन् है। विचाराधीन अपील समयबाह्य पाये जाने से प्रचलन योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त आधार पर अपील विलम्ब से प्रस्तुत होना पाने के कारण इसी-स्तर पर समाप्त की जाती है। फलतः कमिश्नर सागर संभाग सागर व्दारा प्रकरण क्रमांक 184 बी 105/07-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 13 अक्टूबर 2008 यथावत् रहता है।

सदस्य